पत्र संख्या–11/आ० नी०–I–03/2019 सा०प्र०.....10360

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

डॉ० बी० राजेन्दर,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव।
सभी विभागाध्यक्ष।
सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार।
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार।

पटना–15, दिनांक–.....11.06.26

विषय :– **सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–19300 दिनांक–13.10.2023 में निहित प्रावधान के आलोक में उच्चतर पद का प्रभार प्रदान करने के निमित SOP (मानक संचालन प्रक्रिया) निर्गत करने के संबंध में।**

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के प्रशासनिक एवं लोकहित में अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के द्वारा राज्याधीन सेवाओं की प्रोन्नति के पदसोपान में तदर्थ एवं पूर्णतः अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत राज्य कर्मियों को प्रोन्नति के पदानुक्रम में विहित वेतनमान के साथ मूल कोटि की वरीयता के आधार पर उच्चतर पद का प्रभार देने की प्रक्रिया आरम्भ की गयी है।

उक्त अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 में निहित प्रावधानानुसार, यदि पूर्व से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारी/कर्मचारी कार्यरत नहीं हैं, तो वैसी स्थिति में इस नियमावली में अनुसूचित जाति के पदाधिकारियों/कर्मचारियों के लिए कैडर (पद) के कुल स्वीकृत पद का 16 प्रतिशत की दर से एवं अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारियों/कर्मचारियों के लिए कैडर (पद) का 01 प्रतिशत की दर से अर्थात कुल 17 प्रतिशत की दर से पद सुरक्षित रखे जाने का प्रावधान है, ताकि भविष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश फलाफल के आधार पर राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण के साथ नियमित प्रोन्नति आरम्भ होने की स्थिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को आरक्षण सहित प्रोन्नति की कार्रवाई में कोई कठिनाई उत्पन्न न होने पाये।

उक्त नियमावली की कंडिका–6(V)(क) के अनुसार सर्वप्रथम अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के पदाधिकारियों/कर्मियों के संवर्ग के लिए कुल स्वीकृत पदों का क्रमशः 16 प्रतिशत एवं 01 प्रतिशत की दर से अर्थात कुल–17 प्रतिशत **(पूर्व से कार्यरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मी सहित) पद सुरक्षित** रखे जाने का प्रावधान है, जैसा कि नियमावली में वर्णित कंडिका–6(v)(क) के

उदाहरण से स्पष्ट किया गया है। इसी प्रकार उक्त नियमावली की कंडिका–6(V)(ख) में प्रावधानित किया गया है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए क्रमशः 16 प्रतिशत एवं 01 प्रतिशत पद स्वतः नहीं भरे जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में Adequate Representation अर्थात् 16 प्रतिशत एवं 01 प्रतिशत पूरा करने के लिए उतनी शेष (unfilled) **रिक्तियों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए अलग से सुरक्षित** रखे जाने का प्रावधान है, जिसके संबंध में भविष्य में निर्णय लिया जा सकेगा।

विभिन्न श्रोतों के माध्यम से यह सूचना प्राप्त हो रही है कि कतिपय विभागों/कार्यालयों में अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 की कंडिका–6(V)(क) एवं कंडिका–6(V)(ख) अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु सुरक्षित रखे जाने वाले पदों की अनुमान्यता की गणना किये जाने के क्रम में संशय की स्थिति उत्पन्न हो रही है।

उल्लेखनीय है कि अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 की कंडिका–6(V)(क) के तहत कुल स्वीकृत पद का क्रमशः 16% एवं 01% तथा कंडिका–6(V)(ख) के तहत 83% पदों को आधार मानते हुए शेष रिक्ति का 16% एवं 01% सुरिक्षत रखे जाने वाले पदों की मूल भावना किसी स्थापना अन्तर्गत कुल स्वीकृत पद का अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु क्रमशः 16% एवं 01% अनुमान्य पदों की उपलब्धता सुनिश्चित कराया जाना है।

अतएव समीक्षोपरान्त अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत उच्चतर पद का प्रभार देने की प्रक्रिया में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु सुरक्षित रखे जाने वाले पदों की अनुमान्यता की गणना सुगमतापूर्वक किए जाने के संबंध में एक SOP (मानक संचालन प्रक्रिया) निर्गत किया जा रहा है, जिसके आलोक में उच्चतर पद का प्रभार देने के निमित्त निम्नवत प्रक्रिया अपनायी जा सकती है :–

I. अधिसूचना संख्या–19300 दिनांक–13.10.2023 की कंडिका–6(v) (क) के अनुसार सुरक्षित रखे जाने वाले पदों की सं0 (**प्रथम चरण**)

क्र0	पदनाम	स्वीकृत पद	कुल कार्यरत बल	रिक्ति	अ0जा0 के लिए सुरक्षित पदों की संख्या			अ0ज0जा0 के लिए सुरक्षित पदों की संख्या			अ0जा0 एवं अ0ज0जा0 के लिए सुरक्षित रखे जाने वाले कुल पदों की संख्या (8 + 11)	उच्चतर पद का प्रभार दिए जाने के निमित्त उपलब्ध रिक्तियों की संख्या (5 – 12)
					अ0जा0 के लिए सुरक्षित रखे जाने वाले पदों की सं0 (कंडिका–3 का 16%)	अ0जा0 श्रेणी के कार्यरत पदा0 की संख्या	शुद्ध रूप से सुरक्षित रखे जाने वाले पदों की सं0 (6 – 7)	अ0ज0जा0 के लिए सुरक्षित रखे जाने वाले पदों की सं0 (कंडिका–3 का 01%)	अ0ज0जा0 श्रेणी के कार्यरत पदा0 की संख्या	शुद्ध रूप से सुरक्षित रखे जाने वाले पदों की सं0 (9 – 10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		100	50	50	16	8	16 – 8 = 8	1	1	0	8 + 0 = 8	50 – 8 = 42

II. अधिसूचना संख्या–19300 दिनांक–13.10.2023 की कंडिका–6(v) (ख) के अनुसार सुरक्षित रखे जाने वाले पदों की सं0 (**द्वितीय चरण**)

मूल कोटि की वरीयता की सूची के अनुसार उच्चतर पद के प्रभार योग्य पदों की संख्या–42

क्र0	पदनाम	कुल स्वीकृत बल में से 83% के आधार पर उच्चतर पद हेतु उपलब्ध रिक्तियों की संख्या	अ0जा0 के लिए सुरक्षित पदों की संख्या			अ0ज0जा0 के लिए सुरक्षित पदों की संख्या			अ0जा0 एवं अ0ज0जा0 के लिए सुरक्षित रखे जाने वाले कुल पदों की संख्या (6 + 9)	उच्चतर पद का प्रभार दिए जाने के निमित्त उपलब्ध रिक्तियों की संख्या (3 – 10)
			अ0जा0 के लिए अनुमान्य पदों की सं0 (कंडिका–3 का 16%)	उच्चतर पद का प्रभार दिए जाने हेतु प्रस्तावित विचारण सूची में अ0जा0 श्रेणी के पदा0 की संख्या	शुद्ध रूप से सुरक्षित रखे जाने वाले पदों की सं0 (4 – 5)	अ0ज0जा0 के लिए अनुमान्य पदों की सं0 (कंडिका–3 का 01%)	उच्चतर पद का प्रभार दिए जाने हेतु प्रस्तावित विचारण सूची में अ0ज0जा0 श्रेणी के पदा0 की संख्या	शुद्ध रूप से सुरक्षित रखे जाने वाले पदों की सं0 (7 – 8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		42								

उपरोक्त प्रक्रिया से यह स्पष्ट है कि प्रथम चरण की गणना के उपरांत द्वितीय चरण की गणना करते समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु पुनः सुरक्षित रखे जाने वाले पदों की अनुमान्यता की गणना करने एवं उसके विरूद्ध प्रस्तावित विचारण सूची में मूल कोटि की वरीयता के आधार पर स्वतः उपलब्ध होने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के पदाधिकारियों/कर्मियों के सामंजन के उपरांत द्वितीय चरण के सारणी के कॉलम–11 में उपलब्ध होने वाली रिक्ति के आधार पर उच्चतर पद का प्रभार देने की कार्रवाई की जा सकती है।

विश्वासभाजन,

Rajendra 11.6.2026

(डॉ० बी० राजेन्दर)
अपर मुख्य सचिव।